न्यायालयः नेहा प्रजापति, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिछोर, जिला शिवपुरी (म0प्र0)

{निर्णय दिनांक–05.02.2024}

Registration No.-RCT/741/2022
Filling No.-RCT/1954/2022
C.N.R.NO.-MP3308-002456-2022
Filing Date 17-10-2022

(प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

अभियोगी	मध्यप्रदेश राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना भौंती जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री पंजाबसिंह राजपूत सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी।
अभियुक्तगण	1–सूर्यांशसिंह पुत्र इंद्रपालसिंह चौहान, आयु–28 वर्ष, 2–मयंकराजा पुत्र इंद्रपालसिंह चौहान, आयु–27 वर्ष, 3–लक्ष्मण उर्फ पिंटू पुत्र बैजनाथ लोधी,आयु–34 वर्ष, निवासीगण–ग्राम व थाना–भौंती, जिला–शिवपुरी, म0प्र0
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री डी0एस0चौहान अधिवक्ता।

अपराध की तारीख	26.09.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	26.09.2022
आरोप पत्र की तारीख	17.10.2022
आरोपों के विरचना की तारीख	19.04.2023
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	09.01.2025
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	05.02.2025
निर्णय की तारीख	05.02.2025
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	–

<u>अभियुक्तगण का विवरण</u>

अभि. की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा–428 द0प्र0सं0 के

			जाने की तारीख				प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि
1	सूर्यांश सिंह	—	17.10.22	धारा—294, 336, 506 भाग—दो भा0द0सं0	दोषमुक्त	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	मयंक राजा	—	17.10.22	धारा—294, 336, 506 भाग—दो भा0द0सं0	दोषमुक्त	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3	लक्ष्मण उर्फ पिंटू	—	17.10.22	धारा—294, 336, 506 भाग—दो भा0द0सं0	दोषमुक्त	कुछ नहीं	कुछ नहीं

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची—

क. अभियोजन

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी,पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंचसाक्षी, अन्य साक्षी)
अ0सा0—1	शिवम	फरियादी / आहत
अ0सा0—2	रामसेवक	चक्षुदर्शी साक्षी
अ0सा0—3	रामेश्वरदयाल	चक्षुदर्शी साक्षी

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची—

क. अभियोजन

स.क्र.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	प्र0पी0—1 / अ0सा0—1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	प्र0पी0—2 / अ0सा0—1	मौका नक्शा
3	प्र0पी0—3 / अ0सा0—1	साक्षी शिवम का पुलिस कथन
4	प्र0पी0—4 / अ0सा0—2	साक्षी रामसेवक का पुलिस कथन

5	प्र0पी0–5/अ0सा0–3	साक्षी रामेश्वरदयाल का पुलिस कथन

पुलिस थाना भौंती, जिला शिवपुरी के अपराध क्रमांक–288/2022 अपराध अंतर्गत धारा–336, 294, 506, 34 भा0दं0सं0,1860 से उद्‌भूत प्रकरण।

// <u>निर्णय</u>//

1– अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा–294, 336, 506 भाग–दो के तहत यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक–26.09.2022 को समय लगभग 20:00 बजे स्थान थाना भौंती क्षेत्रांतर्गत फरियादी के घर के बाहर आम रास्ता ग्राम भौंती लोकस्थान के समीप फरियादी शिवम् शर्मा को मां–बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर उक्त दिनांक, स्थान व समय पर ही उपेक्षा या उतावलेपन से एक साथ मिलकर पत्थर फेंककर फरियादी या दूसरों का मानव जीवन एवं व्यैक्तिक क्षेम संकटापन्न कारित कर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2– अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक–26.09.22 को फरियादी शिवम् द्वारा अपने पिता रामसेवक के साथ थाना उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक–26.09.2022 को शाम करीब 08 बजे वह अपने घर पर था, तभी भौंती के सूर्यांश ठाकुर, मयंक ठाकुर तथा पिंटू लोधी तीनों मोटरसाइकिल से शराब पीकर आये और उसके घर के बाहर गली में आकर उसे मां–बहन की गंदी–गंदी गालियां देकर बोले 'बाहर निकल, आज तेरी नेतागिरी उतारते हैं', उसने अपने घर के अंदर से गाली देने की मना किया, तो उन लोगों पर पत्थर फेंककर मारे, हल्ला सुनकर उसके चाचा रामेश्वरदयाल शर्मा एवं पापा रामसेवक शर्मा आ गये, जाते समय तीनों कह रहे थे कि आज तो छोड़ दिया, आईंदा तुझे जान से खत्म कर देंगे।

3– अभियोजन मामला आगे यह है कि उक्त आधार पर थाना भौंती

में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक–288/2022 अंतर्गत धारा–336, 294, 506, 34 भा0द0सं0 की पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

4– अभियुक्तगण पर निर्णय के चरण क्रमाक–1 में वर्णित धाराओं के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप लगाए गए और उन्हें पढकर सुनाए व समझाए गए, जिस पर अभियुक्तगण ने अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण की मांग की। अभियुक्तगण का अभिवाक् उनके शब्दों में पृथक से लेखबद्ध किया गया।

5– अभियोजन साक्ष्य के दौरान अभियुक्त के विरूद्व कोई विपरीत तथ्य व परिस्थितियां प्रकट न होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एतस्मिन पश्चात द.प्र.सं.) धारा 313 के अधीन अभियुक्त का परीक्षण नहीं किया गया।

6– प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य है कि फरियादी पक्ष एवं अभियुक्त पक्ष के मध्य स्वेच्छया न्यायालय के बाहर आपसी समझौता हो जाने से एवं शमन आवेदन के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप अंतर्गत धारा–294, 506 भाग–दो के अधीन दण्डनीय अपराध शमन योग्य होने से उक्त अपराध का शमन किया गया और अभियुक्तगण को उक्त अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया गया। अभियुक्तगण पर शेष आरोप अंतर्गत धारा–336 भा.द.सं. के संबंध में अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

7– प्रकरण के उचित निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह हैं कि:–

1– क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक–26.09.2022 को समय लगभग 20:00 बजे स्थान थाना भौंती क्षेत्रांतर्गत फरियादी के घर के बाहर आम रास्ता ग्राम भौंती लोकस्थान के समीप उपेक्षा या उतावलेपन से एक

साथ मिलकर पत्थर फेंककर फरियादी या दूसरों का मानव जीवन एवं व्यैक्तिक क्षेम संकटापन्न कारित किया?

2– दोषसिद्धि या दण्डादेश, यदि कोई हो तो ?

–: <u>सकारण निष्कर्ष</u> :–

–:<u>विचारणीय बिंदु क्रमांक–1 का निराकरण</u>:–

8– फरियादी शिवम (अ0सा0–1), चक्षुदर्शी साक्षीगण रामसेवक (अ0सा0–2) एवं रामेश्वरदयाल (अ0सा0–3) द्वारा मुख्यपरीक्षण में यह अभिकथन किया गया है कि वे आरोपीगण सूर्यांश, मयंकराजा एवं लक्ष्मण उर्फ पिंटू को जानते हैं।

9– फरियादी शिवम (अ0सा0–1) ने मुख्यपरीक्षण में यह अभिकथन किया है कि दिनांक–26.09.2022 को रात करीब 08 बजे उसका आरोपीगण से वाद–विवाद हो गया था, जिसकी सूचना थाना भौंती में दी थी, जो प्र0पी0–1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका प्र0पी0–2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार, चक्षुदर्शी साक्षीगण रामसेवक (अ0सा0–2) एवं रामेश्वरदयाल (अ0सा0–3) द्वारा मुख्यपरीक्षण में यह अभिकथन किया गया है कि उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

10– उक्त साक्षीगण शिवम (अ0सा0–1), रामसेवक (अ0सा0–2) एवं रामेश्वरदयाल (अ0सा0–3) द्वारा अभियोजन कथा का समर्थन न किए जाने के कारण अभियोजन अधिकारी द्वारा न्यायालय की अनुमति पश्चात् साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर, सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया तथा साक्षीगण द्वारा पुलिस को क्रमशः प्र0पी0–3 लगायत 5 का कथन दिये जाने से भी इंकार किया है।

11– तर्क के लिए इस बात पर विचार किया गया कि, क्या अन्य किसी साक्षी के साक्ष्य से प्रकरण की परिस्थितियों में कोई सारवान परिवर्तन हो सकता था? तब यह अवलोकनीय है कि अभियुक्तगण द्वारा उपेक्षा या

उतावलेपन से एक साथ मिलकर पत्थर फेंककर फरियादी शिवम् या दूसरों का मानव जीवन एवं व्यैक्तिक क्षेम संकटापन्न कारित किये जाने के संबंध में वह स्वयं ही सारवान साक्षी हो सकता है, जबकि फरियादी शिवम् (अ0सा0–1) द्वारा ही अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया गया है, न ही उसके द्वारा स्वयं बताया गया कि अभियुक्तगण द्वारा उपेक्षा या उतावलेपन से एक साथ मिलकर पत्थर फेंककर उसे या दूसरों का मानव जीवन एवं व्यैक्तिक क्षेम संकटापन्न कारित किया गया है, तब अन्य किसी समर्थनकारी साक्ष्य के होने से भी प्रकरण की सारवान परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।

12— दांडिक विधि में यह सुस्थापित है कि, उपधारणात्मक प्रावधान वाले विशेष प्रकरणों को छोड़कर अन्य प्रकरणों में अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा की जाती है और यदि किसी बिंदु पर दो दृष्टिकोण संभव हो तो अभियुक्त के पक्ष वाले दृष्टिकोण अपनाया जाने चाहिए।

13— दांडिक मामले में संदेह से परे प्रमाणित करने का अभियोजन पर अपरिवर्तनीय भार होता है, किंतु उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर यह प्रकट होता है कि अभियोजन साक्षीगण की विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से यह प्रमाणित कर पाने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक–26.09.2022 को समय लगभग 20:00 बजे स्थान थाना भौंती क्षेत्रांतर्गत फरियादी के घर के बाहर आम रास्ता ग्राम भौंती लोकस्थान के समीप उपेक्षा या उतावलेपन से एक साथ मिलकर पत्थर फेंककर फरियादी या दूसरों का मानव जीवन एवं व्यैक्तिक क्षेम संकटापन्न कारित किया।

—:<u>विचारणीय बिंदु क्रमांक–2 का निराकरण</u>:—

14— परिणामतः तथ्य, विधि एवं साक्ष्य की उपरोक्त विवेचना के परिणामस्वरूप आरोपित अपराध के संबंध में आवश्यक तत्वों को अभियोजन द्वारा युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित नहीं किए जाने के कारण अभियुक्तगण

सूर्यांशसिंह, मयंकराजा एवं लक्ष्मण उर्फ पिंटू को भा0द0सं0 की धारा–336 भा0द0सं0 के अपराध में संदेह का लाभ प्रदान करते हुए ''**दोषमुक्त**'' कर इस प्रकरण में ''**स्वतंत्र**'' घोषित किया जाता है।

15– प्रकरण में निराकरण हेतु जप्तुशदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

16– अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी जमानत व बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं।

17– अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि के संबंध में धारा–428 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रमाण पत्र पृथक से निर्मित कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

स्थान पिछोर, जिला शिवपुरी म0प्र0
दिनांक–05.02.2025

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टाईप किया गया।

(नेहा प्रजापति)
न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी, पिछोर
जिला शिवपुरी म0प्र0

(नेहा प्रजापति)
न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी, पिछोर
जिला शिवपुरी म0प्र0

NEHA PRAJAPATI

Digitally signed by NEHA PRAJAPATI
Date: 2025.02.05 17:01:55 +0530